



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082023-248381
CG-DL-E-28082023-248381

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3655]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2023/भाद्र 6, 1945

No. 3655]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2023/BHADRA 6, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2023

सं. 27/2023

विषय: स्कोमेट अद्यतन 2023 निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदों) में संशोधन।

का.आ. 3816(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023, के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथासंलग्न निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदों) में संशोधन करती है।

2. इस अधिसूचना के अनुलग्नक के रूप में निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के अद्यतित परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदों) को डीजीएफटी के वेब-पोर्टल पर शीर्षक "नियामक अद्यतन" और उप-शीर्षक "आयात, निर्यात और स्कोमेट नीति" के तहत अपलोड किया जाएगा।

3. उद्योग जगत को संक्रमणकालीन समय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अधिसूचना इसके जारी करने की तिथि से 30 दिनों बाद लागू होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदों) को संशोधित करने के लिए वार्षिक स्कोमेट अद्यतन-2023 को अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/37/एम 10/ईसी (एस)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 05 दिनांक 24 अप्रैल, 2017, अधिसूचना सं. 13 दिनांक 28 जून, 2017, अधिसूचना सं. 29 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, अधिसूचना सं. 17 दिनांक 3 जुलाई, 2018, अधिसूचना सं. 04 दिनांक 24 अप्रैल, 2019, अधिसूचना सं. 10 दिनांक 11 जून, 2020, अधिसूचना सं. 47 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 और अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30 नवम्बर, 2022।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2023

No. 27/2023

Subject: SCOMET Updates 2023 - Amendment in Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018.

S.O. 3816(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the amendment in Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule -2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2018, as enclosed in the Annexure to this Notification.

2. The updated Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018 as annexure to this notification would be uploaded on the web-portal of DGFT under heading “Regulatory Updates” and Sub-heading “Import, Export and SCOMET policy”.

3. In order to provide transition time to industry, this Notification shall come into effect after 30 days of the date of issuance.

Effect of this Notification:-

Annual SCOMET Update - 2023 has been notified to amend Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018.

[F. No. 01/91/171/37/AM10/EC(S)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Addl. Secy.

Note : Principal Notification No. 05 dated 24th April 2017, Notification No. 13 dated 28th June 2017, Notification No. 29 dated 21st September 2017, Notification No. 17 dated 3rd July 2018, Notification No. 04 dated 24th April 2019, Notification No. 10 dated 11th June 2020, Notification No. 47 dated 20.12.2021 and Notification No. 46 dated 30.11.2022.